

JRPI-211-6L-11-94
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264
in the court of.....
Case No.....

THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

Class

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

Name, parentage, caste and address of accused

The offence complaint of its alleged commission.

The offence complained of, is.....
आपने दिनांक 25.10.17 को समय 23.18 बजे स्थान रुखी खखर
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 21 फरवरी
रुखी खखर को अपने आधिपत्य में रखा
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

पंकज शर्मा
न्यायिक नजिरस्ट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

(निर्णय)

(आज दिनांक 7.12.17 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 Ex. A के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को 1500/- के अपराध में सिद्धदोष उहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा 21 हजार 000/- के लिए जारी

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

07/12/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मण्ड (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

07/12/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मण्ड (म.प्र.)